राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3395/2024

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.11.2024
आदेश की दिनांक : 26.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 08.01.1997 के तहत वेतन श्रृखंला 1200–2050 एवं मूल वेतन 1200 रूपये प्रतिमाह के पद पर की गयी थी। अपीलार्थी ने दिनांक 10.01.1997 को कार्यभार ग्रहण किया उसके पश्चात् विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश आरम्भ हो गयी एवं अपीलार्थी को सेवा से हटा दिया गया एवं दिनांक 15.05.1996 को कार्यमुक्त कर दिया गया इसके पश्चात् ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के पश्चात् अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.06.1996 द्वारा वेतन श्रृंखला 1200–2050 में पुनः नियुक्त किया गया अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.1996 को कार्यभर ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को दिनांक 01.07.1997 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गणेशपुरा में पुनः नियुक्त किया गया तथा तद्नुसार अपीलार्थी को वर्ष 1997 की ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन नहीं दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि उसको दो बार ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व एवं ग्रीष्माकालीन अवकाश के बाद नियुक्त किया गया अपीलार्थी ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व अर्थात प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वेतन एवं सेवा परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी हैं। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा परिलाभ देने से इंकार कर दिया। अपीलार्थी के समान एक अन्य मामलें में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 555/2003 जोरावर सिंह बनाम राजस्थान

राज्य में प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा परिलाभ दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलार्थी भी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से ही सेवा परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः अपीलार्थी ने अनुतोष चाहा है कि प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें की वह अपीलार्थी को 1997 की ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ दिया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2014 के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य